[श्री पी॰सी॰ थामस]

भा॰ज॰पा॰ पर जो काला धब्बा लगा है, वह मिटा नहीं है। अतः मैं भा॰ज॰पा॰ तथा उसके सहयोगी दलों से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या भा॰ज॰पा॰ अपने मतदाताओं का साथ छोड़ देगी जिन्होंने इस आधार पर जनादेश प्राप्त किया है कि जहां मस्जिद थी वहां मन्दिर बनाया जाएगा? क्या उनके सहयोगी दल यह कह सकते हैं कि भा॰जा॰पा॰ को जो जनादेश मिला है उन्हें उसका त्याग कर देना चाहिए? 26 प्रतिशत मतदाताओं ने भा॰ज॰पा॰ के पक्ष में मत दिया, मुख्यतः इसलिए कि जहां मस्जिद थी वहां मन्दिर बनाया जाएगा।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि भा॰ज॰पा॰ सरकार अनेक राज्यों को एक मुश्त सहायता देने के लिए तैयार रहती है। लेकिन केरल के बारे में आप क्या कहेंगे? हमें भी पैकेज की आवश्यकता है। हम आपका साथ देने को तैयार नहीं है। हमें भी पैकेज की आवश्यकता है ...*(व्यवधान)* केरल के किसान, विशेषकर कि केरल के रबड़ उत्पादक उत्साहहीन हैं। राज्य की पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो गई है। मैं यह बात सरकार के ध्यान में लाना चाहूंगा कि इस संबंध में कोई कार्यवाही करनी चाहिए। मुझे दुःख है कि मैं इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए बाध्य हूं।

[हिन्दी]

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बुला लिया गया है। मेरा एक सबमिशन है। जब आपने प्रधानमंत्री जी से बोलने का आग्रह किया तो उसके बाद, कम से कम 6-7 सदस्य इस हाउस में बोले हैं और यकीन मानिए, उनके साथ ऐसा हुआ जैसे किसी बारात में कोई बिना बुलाए मेहमान चला गया। सभी के साथ धक्का हुआ, किसी ने सुनने की कोशिश नहीं की और कोई खड़ा भी हुआ तो आपने 15 सैकंड के बाद ही घंटी बजा दी।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जब आपका चुनाव हुआ तो आपके हक में मैंने सबसे ज्यादा शोर किया था।...*(व्यवधान)* मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब आपके चुनाव में बहन मायावती जी, अकबर साहब ने, और सबसे ज्यादा अफसोस तब हुआ जब मुकुल वासनिक जी ने आपके विरोध में शोर किया।...*(व्यवधान)*

श्री आरिफ मोहम्मद खां : भाजपा का विरोध करते हैं, स्पीकर का स्वागत करते हैं।...*(व्यवधान)*

कुमारी मायावती (अकबरपुर) : हमने इन स्पीकर का कभी भी विरोध नहीं किया।...*(व्यवधान)*

श्री सुरेन्द्र सिंह : मैं आपसे केवल एक निवेदन करना चाहता हूं। आप इस हाउस में दूसरी बार आए हैं और भगवान की असीम कृपा ऐसी है कि मैं भी दूसरी बार आया हूं। पिछली बार यहां पर संगमा साहब अध्यक्ष थे जो हमारे जैसे वीकर सैक्शन के लोगों को जैसे किसी पार्टी के दो सदस्य थे, किसी का एक था, बराबर बुलाते थे और यकीन मानिए जब हम धक्का करते थे और वे गुस्से में आते थे तो हमें यह एहसास नहीं होता था कि वे खड़े होकर बोल रहे हैं या बैठकर बोल रहे हैं।...*(व्यवधान)* मेरी आपसे गुजारिश है कि जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो तो हमें पूरी तरह ऐकोमोडेट करने की कोशिश करें। क्योंकि आज आपने प्रधानमंत्री जी को बुला लिया है, इसलिए मैं बीच में नहीं बोलना चाहता।...*(व्यवधान)*

अपराह्न 7.00 बजे

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो प्रस्ताव पेश किया था, उस पर हुई चर्चा अब समाप्त होने जा रही है। जैसा मैंने प्रारम्भ में स्पष्ट किया था, राष्ट्रपति महोदय के निर्देशानुसार मुझे सदन में अपना बहुमत सिद्ध करना है।

जिन सदस्यों ने प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया है, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जिन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया और जो चुप होकर चर्चा सुनते रहे, वे भी हमारे धन्यवाद के अधिकारी हैं।

इससे पहले कि मैं चर्चा के दौरान उठाये गये मुद्दों में से कुछ का उत्तर दूं, मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि सदन को हमें थोड़ी और गम्भीरता से चलाना होगा। कभी-कभी उत्तेजना समझ में आ सकती है, तुर्की-बतुर्की जवाब, यह संसद का एक अभिन्न अंग है। जंग और विरोध के लिए काफी गुंजाइश है, लेकिन सदन को देखने वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि शिष्ट और शालीन ढंग से बर्ताव नहीं कर रहे। दुनिया इस सदन को देख रही है और इसके लिए सबका सहयोग आवश्यक है। मैं नहीं जानता कि सदन के चलने का, इस सदन में सदस्यों के आचरण का और चुनावों के परिणामों का क्या सम्बन्ध है। लेकिन इतना जरूर है कि 543 के सदन में जो मैम्बर 11वीं लोक सभा के बाद पुनः चुनकर आये हैं, उनकी संख्या केवल 251 हैं, 288 नये सदस्य चुनकर आये हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि यहां हमारे व्यवहार से या हमारी कथनी से मतदाताओं का विश्वास इस सीमा तक पहुंच जाता है कि वे हमें दोबारा इस सदन में भेजने लायक नहीं समझ पाते।

अध्यक्ष महोदय, चर्चा में बहुत से मुद्दे उठाये गये हैं। विरोध पक्ष के नेता ने, और भी अनेक सम्मानित सदस्यों ने यह आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष का कोई हिडन एजेण्डा हैं—मैं नहीं जानता, उनका क्या अभिप्राय है। हमारा एजेण्डा जगजाहिर है, उजागर है। वह नेशनल एजेण्डा है, हम उससे बंधे हैं, उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं, और किसी एजेण्डे से हमारा सम्बन्ध नहीं है।

जब तक यह सरकार रहेगी और जब तक मैं इसका प्रधान मंत्री रहूंगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं, इसी नेशनल एजेंडा के हिसाब से सरकार चलेगी। सभी दल और सत्ता पक्ष के गठबंधन में शामिल दल भी अलग-अलग घोषणा पत्रों पर चुनाव लड़े, यह कोई नई बात

नहीं है, कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन सब मिलकर चुनाव लड़े थे, यह भी सत्य है। मिलकर चुनाव के मैदान में कूदे थे, मिलकर जनता के पास गए थे, मिलकर उनसे समर्थन की आशा की थी, अनुरोध किया था।

जब हमारी संख्या इतनी हो गई कि हम सरकार बनाने की स्थिति में आ रहे हैं, ऐसा हमें लगा, तो फिर हमने एक मिलाजुला कार्यक्रम तैयार किया। क्या संयुक्त मोर्चा के समय में ऐसा नहीं हुआ था? उस समय हमने किसी हिडन एजेंडा की बात नहीं की। 1977 में भी, किसी माननीय सदस्य ने उसका उल्लेख किया था, जब कई राजनैतिक दल साथ आए, क्योंकि इमर्जेंसी के चंगुल से लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते थे। सब दलों ने अपने-अपने कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अंगों को छोड़ा, अंशों को छोड़ा। मैं अलग-अलग दलों का नाम लेकर कि उन्होंने क्या छोड़ा, इसमें जाना नहीं चाहता।

भारत को अपनी सुरक्षा के लिए एटम बम का निर्माण करना चाहिए, यह बात हम पहले से कहते रहे हैं। लेकिन जब जनता पार्टी का गठन हुआ और देश में एक मिलीजुली सरकार बनी तो फिर एटम बम के मामले में मतभेद था, हमने उसे छोड़ दिया। और भी दलों ने अपने कुछ कार्यक्रमों के पूर्व अंश छोड़े। वह सरकार नहीं चली, तो किसी कार्यक्रम के मुद्दे को लेकर नहीं चली, ऐसा नहीं हुआ। वह सरकार और कारणों से नहीं चली। इस समय भी यह नेशनल एजेंडा तैयार हुआ है, इसकी आलोचना हो, इसके विविध पहलुओं पर टिप्पणियां की जाएं, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है, हम इसका स्वागत करेंगे। सचमुच में जो एजेंडा बना है, वह सब दलों की राय से बना है। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है इसलिए हमने अपनी राय को थोपा नहीं है। हम अकेल फैसले नहीं करते, मिलकर फैसले करते हैं। सामूहिक सूझबूझ से निर्णय लिए जाते हैं। इसके बारे में किसी के मन में संदेह नहीं होना चाहिए।

जो मुद्दे छूट गए, विभिन्न दलों ने जिन मुद्दों को छोड़ दिया, उन मुद्दों का सवाल उठाकर, मुझे आश्चर्य है कि उन मुद्दों से आजकल हमारे उधर बैठे हुए मित्रों को बड़ा प्रेम हो गया है। जब हम धारा 370 की बात करते थे, तो हमें कहा जाता था कि आप धारा 370 की बात क्यों कर रहे हैं, और जब आज हम बात नहीं कर रहे तो हमको उलाहना दिया जा रहा है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे हैं।

आप जब हम बात नहीं कर रहे हैं तो हमें उलाहना दिया जा रहा है कि हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं? "चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का।"...(*व्यवधान*) हमारी नीति दोहरी नीति नहीं है। जैसे भी हो, आलोचना करना, निशाना बनाना, यह नीति दोहरी है।...(*व्यवधान*) अब हमारे जोगी जी दिखाई नहीं देते।...(*व्यवधान*) वह गंगा जल की पवित्रता का, तीर्थ स्थानों की महानता का इस तरह से स्मरण कर रहे थे जैसे सचमुच में वह नाम के जोगी नहीं हैं, वास्तव में जोगी हैं।...(*व्यवधान*) इस अविश्वास को आधार बनाकर काम नहीं चलेगा।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री शरद पवार (बारामती) : मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सचिव ने भा॰ज॰पा॰ की कार्यसूची का हवाला देते हुए एक परिपत्र जारी किया है।...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह अधिकारी भी उसी गलतफहमी के शिकार हैं जिसके आप शिकार हैं।...(*व्यवधान*) वह बात स्पष्ट की जा चुकी है।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

श्री ई॰ अहमद : आप देश के प्रधानमंत्री हैं। आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री अहमद, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह सरकुलर हमने देखा है। वह अनावश्यक है, आपत्तिजनक है और हमने जवाबतलब किया है, लेकिन वह जिस विषय से संबंधित है, हमारे नेशनल एजेंडा में उसका उल्लेख है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सरकुलर में नाम नहीं लिया जाना चाहिए। लिया गया है तो वह गलत है और उसको तत्काल परिष्कृत किया गया है, उसको तत्काल ठीक किया गया है।

एक बात और भी कही गई है कि हमें रिमोट कंट्रोल से चलाया जा रहा है।...(*व्यवधान*) इस सदन के लिए मैं नया नहीं हूं।...(*व्यवधान*)

श्री पी॰ शिव शंकर : हमने नहीं कहा है, बाबा बाल ठाकरे जी ने कहा है।...(*व्यवधान*)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : जहां आवश्यकता पड़ी है, अपने मित्रों से मतभेद करके भी, मैंने जो ठीक बात समझी है, वही की है। क्या कोई मुझे पीछे से चला सकता है? सच्चाई यह है कि कोई चलाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है और न हम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले हैं। मगर यह रिमोट कंट्रोल केवल हमारे संबंध में कहा जाता है जबकि और जगह भी रिमोट कंट्रोल चलते हैं।...(*व्यवधान*) मगर उनका रिमोट कंट्रोल अच्छा है, हमारा ठीक नहीं है। फिर वही चित भी मेरी पट भी मेरी।...(*व्यवधान*)

यह सदन सर्वोपरि है। हम लोग जनता के प्रतिनिधि हैं। यह ठीक है कि जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है, हम उनसे सम्पर्क रखते हैं, उनका परामर्श लेते रहते हैं, लेकिन जो भी निर्णय होते हैं, वे हमारे अपने निर्णय होते हैं। निर्णय कोई थोपे नहीं जाते और न किसी का निर्णय थोपा जाना हम पसंद करेंगे, इस बारे में किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए।

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

चर्चा में यह भी कहा गया है कि दोहरी नीतियां हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया है कि सत्ता के दो केन्द्र हैं। क्या दो केन्द्र इतने पास-पास होते हैं। आडवाणी जी जब हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जोशी जी ने इसका उल्लेख किया है, तो पार्टी का प्रधान मंत्री पद के लिए उम्मीदवार कौन होना चाहिए, इस बारे में पार्टी में चर्चा होने से पहले, कोई फैसला होने के पहले, आडवाणी जी ने एलान कर दिया मेरे नाम का। यह मुम्बई की घटना है।...*(व्यवधान)* बाद में पार्टी ने उसकी पुष्टि की। अब आप कहेंगे कि...

एक माननीय सदस्य : रिमोट कन्ट्रोल।...*(व्यवधान)*

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप अगर इस खामख्याली का मजा लूटना चाहते हैं, तो मुझे कुछ नहीं कहना है। लेकिन इतना आप भी जानते हैं कि कोई मुझे मुखौटा बनाकर मेरा उपयोग करे, यह तो मेरे आज तक के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के साथ मेल नहीं खाता है। लेकिन कोई मुझे मुखौटा बनाकर उपयोग करना भी नहीं चाहता है। इस तरह का कोई प्रयास नहीं है। और फिर मेरे और आडवाणी जी के बीच में भेद पैदा करने की कोशिश करना, यह जो प्रयास है, इतना सरल नहीं है। इसमें सफलता नहीं मिलेगी। आप यह विचार अपने मन में से निकाल दें।

हमारे गठबन्धन में छोटे-छोटे दल हैं। संगमा जी सदन में नहीं है। उन्होंने ठीक कहा, एक-एक व्यक्ति का भी...

कुछ माननीय सदस्य : सदन में हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माफ कीजिए। संगमा जी ने ठीक कहा, बहुत सी बातें उन्होंने अच्छी कहीं है। मेरी उनकी खूब पटरी जमती थी। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं कि छोटी-छोटी पार्टियां और इनके कारण लोकतन्त्र के विकास में बाधा हो रही है। हमें राजनीति के इस दौर से गुजरना था। यह राजनीति का स्थायी चित्र नहीं है। यह स्थायी भाव नहीं है। लेकिन इसमें से बिना गुजरे भी मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता था। यह संक्रमण काल है और संक्रमण काल में जहां नए गठबंधन हो रहे हैं, वहां बिखराव भी हो रहे हैं। कुछ समय के बाद राजनीति अपना खोया हुआ संतुलन पा लेगी—ऐसा मेरा विश्वास है। लेकिन शर्त यह है कि हम लोगों ने, जिन पर बड़ी जिम्मेदारी है और जो बड़े दलों से जुड़े हैं और जिन्होंने इस देश का लम्बा कालखण्ड देखा है, वे अगर छोटे दलों का शोषण करने के बजाए उन्हें नए समीकरणों से रास्ते पर ला सकें, तो देश की तस्वीर बदल सकती है। जैसा मैंने प्रारम्भ में कहा था कि एक दल के लगातार रहने वाले वर्चस्व के कारण कई क्षेत्रों में यह भावना पैदा हुई है कि उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। यह बहुधर्मी देश है, बहुभाषी देश है और बहुजातीय देश है। छोटी-छोटी इकाइयां भी अपना अस्तित्व रखना चाहती हैं, जगहों की तलाश हो रही है। अभी मौरिशस के प्रधान मंत्री जी यहां आए थे। वे आजमगढ़ भी गए। अपने पुरखों का गांव ढूंढने के लिए, अपने पुरखों की जन्मस्थली को तलाश करने के लिए जब वे आजमगढ़ पहुंचे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। मौरिशस के राष्ट्रपति के पूर्वज बरसों पहले वहां गए थे। लेकिन इस धरती को देखने की उनकी आकांक्षा है कि किस वातावरण में उनके पुरखे रहते थे, किस वातावरण में वे जन्मे थे। इस भावना की कद्र होनी चाहिए।. ..*(व्यवधान)* हम तो चाहते हैं कि यह आना-जाना और बढ़े। 1977 में जब विदेश मंत्री के नाते मुझे अवसर मिला था तो मैंने पासपोर्ट देने के नियम सरल कर दिए थे। विदेश की यात्रा को और भी सरल बना दिया था। अभी खाड़ी देशों में हम एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में गए थे। 30 लाख भारतीय खाड़ी देशों में, जो अधिकांश मुस्लिम देश हैं वहां भारतीय काम कर रहे हैं। वे पैसा कमा रहे हैं, वहां की समृद्धि में योगदान दे रहे हैं और कमा कर थोड़ा सा अपने घर भेज रहे हैं, जिससे उनके घर को भी थोड़ा लाभ पहुंच रहा है। हम चाहते हैं कि कि यह आना-जाना बढ़ना चाहिए। जनता के स्तर पर हमारे संबंध और विकसित होने चाहिए। श्री गुजराल इस दिशा में प्रयत्न करते रहे हैं। यद्यपि जिस तरह का उत्तर मिलना चाहिए उस तरह का उत्तर नहीं मिला, फिर भी हम लगातार प्रयास करते रहे।

महोदय, मैंने एक बार पाकिस्तान के एक नेता से कहा था कि हम इतिहास से झगड़ा कर सकते थे मगर भूगोल नहीं बदल सकते। रहेंगे तो हम साथ ही साथ। हां, हम यही कर सकते हैं कि दोस्ती से रहें या दुश्मनी से रहें, फिर हम दोस्ती क्यों न करें, दुश्मनी की क्या जरूरत है। लेकिन उस विषय पर मैं यहां विस्तार से नहीं जा रहा। किसी सदस्य ने श्री जार्ज फर्नान्डीज के भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि क्या चीन और तिब्बत के बारे में भारत सरकार की नीति बदल गई है, कोई नीति नहीं बदली। सरकारें बदलने से राष्ट्रहितों में परिवर्तन नहीं होते हैं। कुछ नीतियां ऐसी हैं जो एक सरकार को दूसरी सरकार से उत्तराधिकार में मिलती हैं। विदेश मंत्री के नाते मैं सबसे पहले चीन से संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में एक कदम उठाने के लिए गया था। उस समय मेरा विरोध हुआ था और हमारे पड़ौसी ने भी गलती की कि वियतनाम से बखेड़ा मोल ले लिया। इसलिए मुझे अपनी यात्रा जल्दी खत्म करके वापस आना पड़ा था। लेकिन उस समय जो समझौता हुआ, कि सीमा के सवाल पर बातचीत चलेगी, मगर बार्डर पर ट्रिनक्वैलिटी मेनटेन की जाएगी, वह अभी तक मेनटेन हो रही है। आज भी चीन से सीमा के बारे में जो प्रश्न हैं उनके बारे में बातचीत हो रही है। बातचीत अच्छे वातावरण में हो रही है और अन्य क्षेत्रों में हमारे संबंधों का विकास हो, इस बात की कोशिश भी हो रही है। हमने तो पाकिस्तान को भी सुझाव दिया था। अभी प्रधान मंत्री के नाते नहीं, प्रतिपक्ष के नेता के नाते दिया था कि आप कश्मीर के मसले को थोड़े दिन के लिए अलग रख दीजिए तथा अन्य क्षेत्रों में, व्यापार में, आर्थिक सहयोग में मिल कर काम करने के लिए दरवाजे खोल दीजिए। कुछ सामान हम पैदा करते हैं, जिसकी पाकिस्तान में जरूरत है ओर कुछ सामान पाकिस्तान में है जो हमारे

लिए आवश्यक हैं। हम एक-दूसरे की आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं—चाहे वह बिजली की आवश्यकता हो, अनाज की आवश्यकता हो। लेकिन अभी वह वातावरण नहीं बना है। वातावरण बनेगा, मुझे ऐसा भरोसा है। मैं पहले भी दोहरा चुका हूं और आज फिर इस बात को दोहराना चाहूंगा।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का सवाल है, उसमें सरकार बदलने से न कोई परिवर्तन हुए हैं, न परिवर्तन होंगे। श्री गुजराल साहब विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री के नाते लगातार प्रतिपक्ष से संपर्क रखते रहते थे। आखिर सी॰टी॰बी॰टी॰ के सवाल पर जो सारे देश की एकता प्रकट हुई, उसके मूल में लगातार यही था कि इसी तरह से संपर्क करके, आपस में विचार-विमर्श का रास्ता बनाया गया। इसका दुनिया पर भी असर होता है। यह सवाल पार्टी का सवाल नहीं है, इसलिए मैं सहयोग का आमंत्रण करता हूं। जब मैं आम सहमति की बात करता हूं तो किसी कमजोरी के कारण नहीं करता, किसी मजबूरी के कारण नहीं करता। हमारी संख्या कम है, सरकार कैसे चलेगी, इस कारण नहीं करता। सरकार चलेगी तो चलेगी, नहीं चलेगी तो नहीं चलेगी। चालीस साल हमने बिना सरकार के गुजारे हैं। लेकिन जब हम प्रतिपक्ष में थे तब भी हम आम सहमति पर बड़ा जोर देते थे। आज सत्ता पक्ष में हैं तो आम सहमति की धारणा को हम व्यवहार में लाना चाहते हैं।

अध्यक्ष जी, यह इतना बड़ा देश है, इतना प्राचीन देश है, इतनी बड़ी जनसंख्या और इतनी विविधिताएं हैं तो क्या यह देश बिना आम सहमति के चल सकता है, आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता। मुद्दों पर मतभेद होंगे और मतभेद लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। चुनाव हो गये, अब हम क्या करें? किसको जनादेश मिला, इस पर बहस हो रही है। मैंने परसों भी कहा था कि यदि कोई जनादेश का दावा कर सकता है तो हम कर सकते हैं। मैंने कहा था यदि कोई कर सकता है तो, मैंने यह नहीं कहा कि हमें जनादेश मिल गया, आपकी अब जरूरत नहीं है, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता, यदि स्पष्ट बहुमत मिलता तब भी और मैं तो यहां तक जाने के लिए तैयार हूं कि यदि दो-तिहाई बहुमत मिल जाए तब भी इस देश को आम सहमति के आधार पर चलाना पड़ेगा। जिनके हाथ में पहले सत्ता थी वे भी चलाते रहे। वह व्याघात कब पड़ा, उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन व्याघात पड़ा। वह सिलसिला चलना चाहिए, वह सिलसिला आगे बढ़ना चाहिए और सहयोग के वातावरण में देश की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास होना चाहिए। यह प्रयास मैं लगातार करता रहूंगा—मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, एजेंडा के कुछ मुद्दों को लेकर टीका-टिप्पणियां हुई हैं। मेरे मित्र श्री चिदम्बरम ने कहा कि एजेंडा है लेकिन प्रोग्राम नहीं है। मैं दोनों का इतना बारीक अंतर नहीं समझ सकता। मैं कहना चाहता हूं कि एजेंडा में प्रोग्राम का समावेश भी है। कौनसे कानून बनेंगे, इसका उल्लेख है, क्या हमारी प्राथमिकताएं होंगी, इनका निर्देश है। उन्होंने एक उदाहरण दिया—रिवर वाटर्स के बारे में। उन्होंने उद्धृत किया था और मैं भी उसे उद्धृत करता हूं।

[अनुवाद]

> "हम एक राष्ट्रीय जल-नीति अपनायेंगे जो कि विवादों तथा उनके समयबद्ध कार्यान्वयन संबंधी मामलों को प्रभावपूर्ण तरीके से तथा शीघ्र निपटायेगी।"

[हिन्दी]

उन्होंने कहा कि यह तो जनरल बात है कि वाटर पॉलिसी बनेगी। लेकिन आप करेंगे क्या, यह तो आपने बताया नहीं। हमने इसमें बताया है कि मैकेनिज्म होना चाहिए, जल्दी कैसे होना चाहिए। अब शायद उनकी मंशा यह थी कि कावेरी का जो विवाद चल रहा है और जिस पर गतिरोध पैदा हो गया है, उसके बारे में हम सत्ता में आते ही ऐलान कर देते। उसका क्या नतीजा होता? बरसों तक क्यों ऐलान नहीं हुआ?

जो पहली सरकारें थी, वे जरूर किसी कठिनाई का अनुभव कर रही थीं, इसलिए ऐसे सवालों पर नीति की बात हो सकती है। जहां तक व्यवहार का सवाल है, वह सबको मिल कर नीति बनानी होगी। इससे कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु प्रभावित है। सबको एक रास्ता निकालना पड़ेगा। अभी एवार्ड हो गया है लेकिन एवार्ड पर अमल नहीं हुआ है। मैं सत्ता सम्भालते ही यह घोषित नहीं कर सकता कि हमारी सरकार एवार्ड को लागू करेगी। पानी में भी आग लगती है। पानी का मामला और टेढ़ा होने वाला है। पानी की समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है। यह एक विश्व की समस्या बन गई है। हो सकता है कि अगला विश्व तनाव पैट्रोल पर न हो, पानी को लेकर हो। जल का प्रदूषण बढ़ रहा है। जल की मात्रा घट रही है। जल का धरातल नीचे जा रहा है। हमें अपने-अपने चुनाव क्षेत्र में इसकी अनुभूति होती है। लोगों की कठिनाइयां देख कर परेशानी होती है। संगमा जी, हमने यह आश्वासन नहीं दिया है कि हम हर बाल पांच साल में कर देंगे। केवल पानी के सम्बन्ध में हमारा आश्वासन है कि पांच साल के भीतर हर जगह अच्छा पानी पीने के लिए मिले, यह हमारी प्रतिबद्धता है, लेकिन और भी मामलों में हमने अपनी दिशा का संकेत दिया है।

हमारे नेशनल एजेंडा में एक सुझाव है कि संविधान का रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा। इस पर कठोर टिप्पणी हुई हैं। प्रतिपक्ष में बैठे हुए हमारे मित्रों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। यह सुझाव देने वाले हम पहले नहीं हैं। बरसों से इस सम्बन्ध में मंथन चल रहा है, बुद्धिजीवी विचार कर रहे हैं और अपनी राय का प्रकटीकरण भी कर रहे हैं। वे बुद्धिजीवी किसी राजनीतिक दल से जुड़े हों या प्रेरित हों, ऐसा भी नहीं है। डा॰ कर्ण सिंह, डा॰ एल॰एम॰ सिंघवी, श्री सोली सोराबजी, प्रोफेसर रशीदउद्दीन खां, श्री बी॰के॰ नेहरू, श्री एस॰एल॰ शकधर, प्रोफेसर मधु दंडवते, जस्टिस वी॰आर॰ कृष्णा

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

अय्यर, जस्टिस खन्ना, जनरल के•वी• कृष्णा राव, ये सब इस विचार को व्यक्त कर चुके हैं कि आखिर हमारे संविधान को 50 साल हो गए हैं, इस पर एक बार दूसरी नजर डालने की जरूरत है। नया संविधान लिखने का सवाल नहीं है, लेकिन क्या हम यह मान कर चलें कि संशोधन तो होते रहे हैं। कल कहा गया कि संशोधन अलग है, रिव्यू अलग है। संशोधन तो अमल में लाना पड़ता है। रिव्यू के बाद जो रिपोर्ट आएगी, उस पर हम अमल करें या न करें, यह हमारे लिए खुला हुआ होगा लेकिन कुछ पहलू ऐसे हैं, जिन पर फिर से विचार करने की जरूरत है।

हमने चुनाव की एक विशेष पद्धति अपनायी है। क्या यह ठीक है? अभी सुझाव आ रहा है और संसद के सदस्य इस बात से सहमत होंगे, अगर यह बात मान ली जाए कि एक बार चुनी हुई संसद पांच साल तक रहेगी, सरकार आए या जाए, मगर लोक सभा नहीं जाएगी। ऐसा कई देशों में हैं।...(*व्यवधान*) आडवाणी जी कह रहे हैं, संगमा जी ने भी शायद कहा था कि अभी जो चुनाव की पद्धति है, उसमें एक विचित्रता है। कभी वोट बढ़ जाते हैं और सीटें घट जाती हैं और वोट घट जाते हैं, मगर गाड़ी चल रही है। यह भी सुझाव आया है कि 50 फीसदी से कम वोट मिलें तो वह जीता हुआ नहीं माना जाएगा। वह जनता का सचमुच में अपने को प्रतिनिधि घोषित नहीं कर सकता। 15 परसैंट वोट मिलें तो आप कहेंगे कि आपको भी कम मिले हैं। अगर परिवर्तन होगा तो वह हम पर भी लागू होगा।

ऐसे भी देश हैं जो कहते हैं कि अगर फर्स्ट बैलट में न हो तो आप दूसरा बैलट करिये। अधिक रिप्रेजेंटेटिव, चुनी हुई संस्था होनी चाहिए। यह खर्चे का सवाल है। और भी कई प्रश्न हैं। मैं उन सबमें विस्तार से नहीं जाना चाहता। अगर विशेषज्ञों की कोई समिति बनती है, निष्पक्ष लोगों की समिति बनती है जिसमें पुराने राष्ट्रपति वेंकटरमण जी का भी नाम है, मैंने सारे नाम नहीं लिये हैं, उसमें नानी पालखीवाला हैं, डा• फारूख अबदुल्ला हैं, सबकी सलाह है कि इस तरह का कमीशन बना दिया जाए, वह देख ले कि क्या संशोधन होने चाहिए तो मैं समझता हूं कि हम संविधान को तोड़ने जा रहे हैं या नये संविधान की रचना करने जा रहे हैं, इस तरह का अर्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, श्री संगमा जी ने शिक्षा के बारे में एक मामला उठाया था। उन्होंने कहा कि जी•डी•पी• का छः प्रतिशत शिक्षा पर व्यय होना चाहिए—यह निर्णय तो बहुत पहले हो चुका है, आप इसमें ग्रैजुअली क्यों जोड़ रहें हैं। निर्णय बहुत पहले हुआ था मगर उस पर अमल नहीं हुआ। आज जो खर्च हो रहा है, वह तीन परसेंट से ज्यादा नहीं है और हम उसे बढ़ाना चाहते हैं। तीन से एकदम छः की छलांग लगाने में थोड़ी सी कठिनाई है और इसलिए ग्रैजुअली की बात कही है। लेकिन ग्रैजुअली का मतलब उसको लटकाना नहीं है, जल्दी से जल्दी छः परसेंट के लक्ष्य को प्राप्त करना है। उन्होंने ट्राइबल्स का मामला भी उठाया था। वह मामला दिल्ली से संबंधित है। दिल्ली में जब कांग्रेस का शासन था तब भी ट्राइब्ज का कोई शैड्यूल नहीं बना। दिल्ली में ट्राइब्ज होंगे मगर शैड्यूल्ड ट्राइब्ज की सूची तैयार करनी पड़ेगी। वह सूची अभी तक तैयार नहीं हुई है। लेकिन इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए और दिल्ली में जो ट्राइब्ज रहते हैं, या ट्राइब्ज से संबंधित लोग रहते हैं, उन्हें नौकरियों से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस संबंध में दिल्ली सरकार से बात करूंगा। इसका मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उत्तर-पूर्व की ओर हमारी सभी सरकारों ने विशेष ध्यान दिया है। उत्तर-पूर्व की स्थिति में कुछ सुधार भी हुआ है लेकिन और सुधार की आवश्यकता है।

अपराह्न 7.38 बजे

(श्री पी•एम• सईद *पीठासीन हुए*)

पैकेज घोषित कर दिये जाते हैं, लेकिन अमल में नहीं आते। कमेटी बनती हैं, लक्ष्मीचंद जैन कमेटी बनी थी, उसके बाद शुक्ला कमेटी बनी मगर किसी की सिफारिशों पर अमल नहीं हुआ। अब जो नौर्थ ईस्ट काउंसिल है उसका अध्यक्ष पहले गवर्नर हुआ करता था, अब प्लानिंग कमीशन का वाईस चेयरमैन उसका अध्यक्ष होगा और मैं उसे यह विशेष जिम्मेदारी सौप रहा हूं कि इस संबंध में उत्तर पूर्व की सहायता के लिए जितनी घोषणाएं हुई हैं, उन सब घोषणाओं पर जल्दी से जल्दी अमल करने की कोशिश करें। अगर साधनों की कमी है तो वह केन्द्र सरकार के पास आएं। हम अधिकाधिक साधन जुटाने का प्रयास उनके लिए करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, हम इस तात्विक चर्चा में तो बहुत रूचि लेते हैं कि विदेशी सहायता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए तो किन शर्तों पर मिलनी चाहिए। लेकिन जब सहायता मिल जाती है, सस्ता कर्जा मिल जाता है तो हम उसे अमल में लाने में भी विफल रहते हैं।

इस देश की सबसे बड़ी विफलता इम्पलीमेंटेशन की स्टेज पर है। अच्छे-अच्छे विचारों की कमी नहीं है। कागज पर आकर्षक योजनाओं का अभाव नहीं है और शासन तंत्र में आपको ऐसे पुराने अफसर मिल जायेंगे जिनको सुनकर लगेगा कि इनसे अधिक तो ओर कोई इस विषय का ज्ञाता नहीं है और कुछ मात्रा में वे ज्ञाता होते भी हैं। लेकिन व्यवहार! यह देश बदल क्यों नहीं रहा है? परिगणित जातियों, परिगणित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के लोग, कम संख्या वाले लोग, अल्पसंख्यकों की स्थिति में ठोस परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है। साधनों की कमी एक कारण हो सकता है। मगर कोई केस मैंने ऐसे देखे हैं और अभी तीन-चार दिन में ज्यादा देखने का मौका नहीं मिला है कि केन्द्र से रुपया दे दिया गया पावर्टी एलीविएशन के लिए रुपया दे दिया गया, करोड़ों रुपया दे दिया गया।

डा॰ मुरली मनोहर जोशी : हजारों करोड़।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हजारों करोड़ रुपया है, जोशी जी कह रहे हैं, वह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन रहे हैं, और परिणाम क्या हुआ? यह स्थिति है, इस स्थिति को बदलना होगा। कार्यान्वयन पर जोर दिया जायेगा। जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से सौंपी जायेगी, उसकी निगरानी होगी और जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा उसे रास्ते पर लाने की कोशिश की जायेगी। इस देश की पूंजी के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। संसद सदस्यों के नाते हमें एक करोड़ रुपया मिलता है...*(व्यवधान)* बड़ी रकम नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि अगर वह रकम ठीक तरह से खर्च की जाए—ठीक तरह से खर्च की जाए, ठेकेदार के हाथ में न जाए, अफसर की जेब में न जाए, कोई देखने वाला हो और इसमें गैर सरकारी संस्थाएं योगदान दे सकती हैं। अगर एक करोड़ रुपये में मैं लखनऊ में इतने काम करा सकता हूं तो फिर हजारों करोड़ रुपये से इस देश की बुनियादी समस्याएं क्यों नहीं हल करा सकता, यह मैं समझने में असमर्थ हूं। एक छोटी सी घटना मेरे ध्यान में लाई गई है। 1994-95 में नेशनल टी॰बी॰ कंट्रोल प्रोजेक्ट यह पायलट प्रोजेक्ट था। 1997 से प्रोजेक्ट काम करने लगा। वर्ल्ड बैंक से इसके लिए 750 करोड़ का कर्जा आना था। प्रोजेक्ट का उद्देश्य टी॰बी॰ का उन्मूलन था। मगर इस प्रोजेक्ट में इतनी देर लगाई गई है, इतनी लम्बी लालफीताशाही चली है कि प्रोजेक्ट पर अमल नहीं हुआ और टी॰बी॰ वापस आ रहा है। टी॰बी॰ के उन्मूलन के लिए जो प्रोजेक्ट बना था, इसके लिए 750 करोड़ रुपया वर्ल्ड बैंक ने देना स्वीकार किया था, हम उस पर भी अमल नहीं कर सके, हम उसे भी व्यवहार में नहीं ला सके। कोई सरकार इस स्थिति को कैसे बर्दाश्त कर सकती है और समाज को भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। धन अगर गांव में जाता है, धन अगर जिला परिषद में जाता है तो वह केवल वहां के अधिकारी या वहां के निर्वाचित प्रतिनिधि तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसकी जानकारी सारे गांव को होनी चाहिए, सब लोगों को होनी चाहिए। किस तरह से यह धन खर्च किया जा रहा है, इस पर नजर रखनी चाहिए। देश में लूट का वातावरण पैदा हो गया है। इस वातावरण को बदलना होगा। जब हम ईमानदारी की बात करते हैं तो ऊपर तो ईमानदारी होनी ही चाहिए। लेकिन प्रशासन के हर एक स्तर तक और जनता के जो राहत के काम है, आवास योजना बहुत अच्छी योजना है, रोजगार योजना बहुत अच्छी योजना है, लाखों की तादाद में छोटे-छोटे मकान बनाये जा सकते हैं, धन निकाला जा सकता है। बड़े-बड़े शहरों में जो सरकारी जमीन है उस पर भू-माफिया कब्जा कर रहे हैं, उसे कब्जा करके फ्लैट बनाने के लिए लोगों को बेच रहे हैं, मुनाफा कमा रहे हैं। सरकार अफसर उनके साथ मिले हुए हैं और लोगों को झुग्गी-झोंपड़ियों में सिर छिपाने के अलावा और कोई जगह नहीं है। इसे तो बदलना पड़ेगा और इसलिए आवश्यक होगा तो हम कानून में संशोधन करेंगे, आवश्यक होगा तो नया कानून लायेंगे। लेकिन सरकारी जमीन पर जो सार्वजनिक जमीन है उस पर किसी भू-माफिया को या अनुचित मुनाफा कमाने वालों को कब्जा करने की छूट नहीं दी जायेगी।

यह कैसे रोका जाए, यह कठिन समस्या जरूर है, लेकिन देश जिन समस्याओं में उलझा हुआ है, सबके सहयोग से ये समस्याएं हल की जा सकती हैं, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

मैं अपने वायदों पर अमल करने के लिए आपसे समर्थन मांगता हूं। आप मेरे प्रस्ताव के समर्थन में मत दें, ऐसी अपील करते हुए मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों को अभी तक विभाजन संख्या आबंटित नहीं की गई हैं इसलिए मुझे माननीय सदस्यों को यह सूचित करना है कि ऑटोमेटिक वोट रिकार्डिंग मशीन द्वारा विभाजन करना सम्भव नहीं है। अब विभाजन नियम 367 कक के अन्तर्गत पर्चियों के वितरण द्वारा किया जाएगा।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुषमा स्वराज : अध्यक्ष महोदय, किसी ने डिवीजन मांगा नहीं है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप वायस वोट से करिए।

अध्यक्ष महोदय : पहले अनाउंसमेंट करना जरूरी है। उसके बाद माननीय सदस्य जैसा चाहेंगे वैसा किया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

ध्माननीय सदस्यों को अपने वोट देने के लिए 'पक्ष में'/'विपक्ष में' छपी हुई पर्चियां उनके स्थानों पर वितरित की जाएंगी। 'पक्ष में' की पर्चियां अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में हरे रंग में एक ओर छपी हैं और 'विपक्ष में' की पर्चियां अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों में लाल रंग में उनके पीछे छपी हैं। माननीय सदस्य, अपनी इच्छा से पर्चियों पर अपने हस्ताक्षर कर और साफ-साफ अपना नाम, परिचय पत्र संख्या (माननीय सदस्यों को दिए गए अस्थायी अथवा स्थायी परिचय पत्र) निर्वाचन क्षेत्र तथा राज्य/संघ शासित क्षेत्र तथा पर्ची में जहां दिनांक के लिए स्थान दिया गया है वहां दिनांक देकर अपना वोट दे सकते हैं। जो माननीय सदस्य पक्ष में या विपक्ष में वोट नहीं देना चाहते हैं वे 'न पक्ष में न विपक्ष में' (पीले रंग) की पर्ची मांग सकते हैं। वोट देने के तत्काल बाद प्रत्येक माननीय सदस्य डिवीज़न क्लर्क को अपनी पर्ची दे दें जो कि सभा पटल पर बैठे हुए अधिकारियों को यह पर्चियां देने आपके स्थान पर आएगा। माननीय सदस्यों से अनरोध है कि वे विभाजन के लिए केवल एक पर्ची ही भरें।